न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर
(म0प्र0)

72

गुरूदीन शर्मा पिता स्व0 भूरे लाल शर्मा निवासी जमुआ तह0 सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 .....निगराकार

बनाम

1. म0प्र0 शासन जरियें कलेक्टर शहडोल
2. कस्तूरी बाई पत्नी रामकुमार गोंड़ निवासी ग्राम पुंगरी तह0 सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0 .....गैर निगराकार

राजस्व निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर शहडोल दिनांक 30.03.2016 वरूवे प्रकरण कं0 6/निगरानी/13–14 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

माननीय,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी पेश कर विनय करता है :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य

ग्राम जमुआ तह0 सोहागपुर जिला–शहडोल स्थित आ0ख0नं0–276 वर्तमान ख0नं0–123/3 रकवा 0.70 एकड़ भूमि निगराकार के कब्जे दखल व मालकाना हक की भूमि है।जिसे भूमि के पूर्व पट्टेदार सेतुआ बैगा पिता हनुआ बैगा द्वारा निगराकार के मामा एवं गुरू स्व0 कामता प्रसाद शर्मा को दिनांक 02.04.1957 को जरिये दान पत्र दिया गया था, उक्त भूमि में अर्शा 50–60 वर्षों से मॉ सरस्वती मन्दिर, यज्ञ स्थलीय, कुंआ, बगीचा, गुरू आश्रम तथा मकान आदि का निर्माण निगराकार के मामा द्वारा अपने जीवनकाल में ही कराया गया था। उक्त भूमि में निगराकार अपने मामा की मृत्यु दिनांक 22.12.1985 तक उनके साथ रह कर काबिज दखील रहा और मामा जी के मृत्यु पश्चात् निगराकार आज दिनांक तक उक्त भूमि पर निर्वाद रूप से काबिज दखील चला आ रहा है। उक्त भूमि पर निगराकार के मामा की सामाधी एवं उनके गुरू की सामाधी भी बनी हुई हैं।

मूल पटटेदार सतुवा बैगा तथा उसकी पत्नी मतुलिया बाई की मृत्यु आज से 30–35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उनका एक मात्र लड़का गहनू बैगा था, वह भी लाबल्द फौत हो चुका है। इस प्रकार मूल पटटेदार सतुवा बैगा के कोई भी जीवित वारिस मौजूद नही है। उक्त भूमि का नामांतरण फर्जी व गैर कानूनी तरीके से रामकृपाल एवं रामगोपाल बैगा पिता गणेश बैगा तथा रामकुमार गोंड़ पिता राम गरीब गोंड़ द्वारा निगराकार के बिना जानकारी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को मिलाकर चोरी–छिपे करा लिया गया था, जिसकी अपील भी निगराकार द्वारा एस.डी.ओ. सोहागपुर के न्यायालय में की गई है, जो वर्तमान में लम्बित है।

गैर निगराकार क्रं0 2 कस्तूरी बाई जो रामकुमार गोंड़ की बेवा है, द्वारा निगराकार के कब्जे दखल व मालकाना हक की उक्त भूमि के अंश भाग का चोरी–छिपे सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार सोहागपुर के न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिसकी जानकारी होने पर निगराकार द्वारा उस पर आपत्ती पेश किया गया था। जिसे न्यायालय तहसीलदार सोहागपुर द्वारा गलत व गैर कानूनी तरीके से बिना विधिवत् सुनवाई किये

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1977–दो/16 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10 –11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदोरिया द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 06/निगरानी/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता ने यह कहीं उल्लेखित नहीं किया है कि अनावेदिका के द्वारा जिस वाद भूमि ग्राम गोरतारा की आराजी खसरा कमांक 276/2 रकवा 0.50 एकड़ के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया है उस भूमि से लगी उसके स्वामित्व की कोई आराजी है। आवेदक वाद भूमि कोई सरहददी कृषक नहीं । जिसके कारण निगराकार को वाद भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार आपत्ति करने की अधिकारिता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न राजस्व प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आदिवासी वर्ग गोड़ जाति की है। निगरानीकर्ता सामान्य वर्ग का है। निगरानीकर्ता का कब्जा अनाधिकृत कब्जा अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदित किया गया था। इससे अपर कलेक्टर का आदेश उचित है। जिसमें कोई	

अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अग्राह किये जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 06/निगरानी/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाताहै। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य